

कार्यालय श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी०टी० रोड, कानपुर।

पत्र संख्या: 1601-05 / आई०आर०-2022 (विशेष भत्ता)

दिनांक 11-10-20

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ को अवगत कराएं तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
2. उप श्रमायुक्त, प्रवर्तन, मुख्यालय।
3. पुस्तकालय प्रभाग, मुख्यालय, कानपुर।
4. प्रगारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5- उप श्रम आयुक्त, नजारात को नोटिस बोर्ड पर चरमा करने हेतु।

K/n

(कल्पना श्रीवास्तव)

उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।

होटल एवं रेस्टोरेन्ट उद्योग में नियोजित श्रमिकों को देय विशेष भत्ता


होटल एवं रेस्टोरेन्ट उद्योग में नियोजित कर्मचारियों को संसद 513/36-1-2016-1075 (एनडीए)/85 दिनांक 18.04.2016 के प्रावधानानुसार अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के 239 अंकों के ऊपर जनवरी, 2022 से जून, 2022 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत अंक 366 (सिंगल सी फ़ाइट) पर दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक नियोजित दृष्टान्त की भांति उनकी मूल मजदूरी को शतप्रतिशत निश्चयायी करके परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता देय है।

दृष्टान्त - ₹0 8350/- प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को दिनांक 01.10.2022 से दिनांक 31.03.2023 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नवत् है :-

$$(239 - 239) \times 8350 = 3374.26 \text{ ₹0 प्रतिमाह}$$

विभिन्न मासिक मजदूरियों पर देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता प्रतिमाह निम्नवत् है :-

होटल और रेस्टोरेन्ट के वर्ग	श्रेणी	सूचकांक	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता	कुल योग प्रतिमाह	दैनिक मजदूरी
सड़क के किनारे या कारपोरेशनों (मोहल्लों) के अन्तर्गत होटल और रेस्टोरेन्ट एवं सामान्य प्रकृति का कार्य करने वाले व अन्य प्रतिष्ठान चाहें उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये तथा जिनमें 10 से कम कर्मिक नियोजित हैं	अकुशल	6350	3374.26	9724.00	374.00
	अर्द्धकुशल	7000	3719.66	10720.00	412.00
	कुशल	7840	4166.025	12006.00	462.00
सड़क के किनारे या कारपोरेशनों (मोहल्लों) के अन्तर्गत होटल और रेस्टोरेन्ट एवं सामान्य प्रकृति का कार्य करने वाले व अन्य प्रतिष्ठान चाहें उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये तथा जिनमें 10 से अधिक कर्मिक नियोजित हैं	अकुशल	6730	3576.192	10306.00	396.00
	अर्द्धकुशल	7420	3942.84	11363.00	437.00
	कुशल	8310	4415.77	12726.00	489.00
	अति कुशल	8975	4769.14	13744.00	529.00
स्टार होटल एवं सामान्य प्रकृति का कार्य करने वाले अन्य प्रतिष्ठान चाहें उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये	अकुशल	7540	4006.61	11547.00	444.00
	अर्द्धकुशल	8980	4771.79	13752.00	529.00
	कुशल	10640	5653.89	16294.00	627.00
	अति कुशल	12565	6676.79	19242.00	740.00


(सरजू राम)

अपर श्रमयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रमयुक्त, उत्तर प्रदेश।